न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 11/2016 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2016/00101

उनवान

श्रीमती कश्मीरा पत्नी मुरारी जाति जाटव निवासी गढ तहसील भरतपुर जिला करौली।
.....अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती झन्का पत्नी तेज सिंह जाति जाटव निवासी गुरदा–डांग तहसील बयाना जिला भरतपुर।
2. कल्याण } पुत्रान स्व0 किरोडी
3. सेडू उर्फ सुरेश }
4. श्रीमती शीला } पुत्रियॉ स्व0 किरोडी
5. श्रीमती ओमा }
6. श्रीमती बैजन्ती पत्नी स्व0 ओमप्रकाश
7. करमेन्द्र कपूर } पुत्रान स्व0 ओमप्रकाश
8. विजय }
9. हेमराज }
10. अनीता } पुत्रियॉ स्व0 ओमप्रकाश
11. हेमलता }

जाति जाटव निवासी कस्वा बयाना तह0 बयाना जिला भरतपुर।

12. राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर साहब भरतपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 17.05.2013 प्रकरण संख्या 162/2009 उनवान झन्का बनाम रेशम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना।

अभिभाषकगण :–

1. श्री दुलीचन्द शर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री विजय सिंह झारौटिया अभिभाषक रैस्पो0 उपस्थित ।

दिनांक :–21.03.2022

निर्णय

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी बयाना के निर्णय दिनांक 17.05.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 संख्या 01 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम खेरी डांग तहसील बयाना में स्थित है जिसके खातेदार काश्तकार व काबिज मनोहरी व किरोडी पिसरान बल्देव हिस्सा 1/2 तथा रूप सिंह पुत्र पुन्नाराम हिस्सा 1/2 कौम जाटव निवासी बयाना हैं। उपरोक्त आराजी में से रूप सिंह पुत्र पुन्नाराम का सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 तथा मनोहरी पुत्र बल्देव

का 1/4 हिस्सा दिनांक 21.02.2009 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादिनी/असल रैस्पो0 संख्या 01 ने खरीद कर लिया है। इस प्रकार वादिनी/रैस्पो0 संख्या 01 बतौर खातेदार काश्तकार उपरोक्त आराजी के 3/4 हिस्से पर विक्रेतागण के स्थान पर काबिज है एवं शेष 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार किरोडी पुत्र बल्देव जाटव निवासी बयाना था जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है। उसके स्थान पर उसके कायम मुकामान वारिसान को प्रतिवादी बनाया जा रहा है। यह है कि विवादित आराजी का मनवट के आधार पर मौके पर विभाजन हो रहा है। परन्तु बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन नहीं हो रहा। अतः विवादित आराजी में सम्मिलित काश्त करने में परेशानी उत्पन्न हो रही है। अतः विवादित आराजी का बॅटवारा कराये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 के तहत प्रस्तुत की गयी है। प्रार्थना पत्र धारा 96 में अपीलाण्ट का तर्क है कि अपीलाण्ट विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं तथा विभाजन के दावा में उसको पक्षकार बनाये बिना ही रैस्पो0 ने विभाजन की डिक्री पारित करा ली। उक्त डिक्री के बने रहने से अपीलाण्ट के हको पर विपरीत प्रभाव पडता है अतः उक्त डिक्री को निरस्त कराया जाना आवश्यक हैं। अन्यथा अपीलाण्ट के हक समाप्त हो जावेगें। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट उक्त डिक्री से परिवेदित हैं।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय में दावा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का रैस्पो0 2 लगायत 6 व राज0 सरकार तथा मृतक रेशम वेवा किरोडी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था तथा कालान्तर मे किरोडी के वारिसान से उसका 1/4 हिस्सा अपीलाण्ट ने क्रय कर लिया। जमाबन्दी संवत 2067 लगायत 70 में किरोडी के सभी वारिसान का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज था तथा अपीलाण्ट का नाम खातेदार की हैसियत से उक्त जमाबन्दी में दर्ज हो गया। परन्तु रैस्पो0 संख्या 01 ने उक्त तथ्य को न्यायालय से छुपाकर अपीलाण्ट एवं रैस्पो0 संख्या 07 लगायत 11 को पक्षकार बनाये बिना ही विभाजन की डिक्री पारित करा ली। जबकि आवश्यक पक्षकारो को पक्षकार दावा बनाये बिना बिभाजन का दावा पोषणीय नहीं था तथा मात्र इसी बिन्दु पर दावा काबिल खारिजी था। यह है कि दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 01 रेशम वेवा किरोडी की मृत्यु हो गयी तथा यह तथ्य रिकार्ड पर दर्ज होकर प्रार्थना पत्र कायम मुकाम दिया गया परन्तु उक्त मृतक प्रति0 के कायम मुकामान को रिकार्ड पर लिये बिना ही मृतक रेशम के विरूद्ध डिक्री पारित कर दी। इसके अलावा उनका यह भी तर्क है कि प्राथमिक डिक्री पारित करने के बाद प्रति0 की ओर से एक तरफा डिक्री को अपास्त कराने हेतु आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र दिया या जो कि बहस हेतु विचाराधीन था। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय किये बिना ही अंतिम डिक्री पारित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। कुर्रे बनाये

जाने हेतु भी तहसीलदार को आदेश दिये गये थे। परन्तु तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गये और ना ही पक्षकारो को बुलाकर उनके सामने कुरे बनाये गये। पटवारी हल्का को कुर्रे बनाये जाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। विवादित आराजी में से अच्छी अच्छी आराजी वादिनी रैस्पो0 संख्या 01 का दी गयी है। इस प्रकार विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। अन्त में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर निर्णय पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। आराजी किस दिनांक को खरीदी यह बहस में नहीं बताया। अपीलाण्ट का विवादित आराजी में कोई स्वत्व ही नहीं बनता है। अपीलाधीन डिक्री के बाद क्रय की है। प्रार्थना पत्र आदेश 01 रूल 10 में पक्षकार नहीं बनें। विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार हैं। 18 से 21 की पालना की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विभाजन प्रस्तावो पर तहसीलदार के हस्ताक्षर नहीं है। दिनांक 27.06.2012 को रजिस्टर्ड वयनामा से क्रय किया है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जावें।

7. हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट विवादित आराजी को किरोडी के वारिसान से उनका 1/4 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क्रय करना एवं जमाबन्दी संवत 2067–70 में अपना नाम दर्ज होना कथन करते हैं। परन्तु अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील में ना तो उक्त कथित रजिस्टर्ड वयनामा पेश किया है एवं ना ही जमाबन्दी संवत 2067–70 जिसमें अपीलाण्ट अपना नाम दर्ज होना बताते हैं, ही प्रस्तुत की है। जिससे स्पष्ट हो सके कि अपीलाण्ट ने विवादित आराजी के 1/4 हिस्से को किरोडी के वारिसान से क्रय किया है। अतः अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश से परिवेदित नहीं माना जा सकता है। लिहाजा प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार योग्य नहीं रहता है।

8. जहॉ तक अपीलाण्ट की अन्य आपत्ति कि प्रति0 की ओर से एक तरफा डिक्री को अपास्त कराने हेतु आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र दिया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया एवं विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। हम पाते हैं कि उक्त दोनों कार्यवाहियों बाबत् आपत्ति करने का अधिकार प्रतिवादी/रैस्पो0 (किरोडी के वारिसान) को था। क्योंकि प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 प्रतिवादी/रैस्पो0, किरोडी के वारिसान की ओर से ही अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। परन्तु उनके द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं की गयी है। जैसा कि ऊपर विवेचना में आ चुका है, अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश से परिवेदित नहीं माना गया है। अतः उन्हें उक्त आपत्तियॉ को हस्तगत अपील से उठाने के कोई अधिकार हासिल नहीं होते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण काबिल खारिज योग्य समझते हैं।

9. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वयाना के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2013 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

10. निर्णय आज दिनांक 21.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21-03-2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रवन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर